प्रथम अनुसूची[2]

(धारा–(4–क देखिए)

(श्रम न्यायालयों के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत विषय)

1– स्थायी आदेश के अधीन मालिक द्वारा प्रचारित आज्ञा का औचित्य तथा उसकी वैधता;

2– स्थायी आदेशों का लागू होना तथा उनका निर्वचन;

3– मजदूरों की बरखास्तगी तथा उनका सेवा मुक्त किया जाना जिसके अन्तर्गत दोषपूर्ण ढंग से बरखास्त किए गए मजदूरों को फिर से उनके पद पर नियुक्त करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना भी है;

4– किसी प्रचलित रियायत अथवा विशेषाधिकार का वापस लिया जाना;

5– किसी भी हड़ताल अथवा द्वारावरोध की अवैधता अथवा अन्यथा(**Illegality or otherwise**); तथा

6– द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न समस्त विषय ।

———————

2. उत्तर प्रदेश में अधिनियम सं0 1 1987 की धारा 18 द्वारा अनुसूची 1, 2 तथा 3 जोड़ी गयी।